



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बिसंडा पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ झाड़-फूक के नाम पर गलत हरकत करने वाले तांत्रिक को किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2026 को थाना बिसंडा पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ झाड़-फूक के नाम पर गलत हरकत करने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना बिसंडा क्षेत्र के रहने वाली एक महिला द्वारा अपना नाबालिग बेटी के साथ एक तांत्रिक द्वारा झाड़-फूक कर उसकी तबीयत ठीक करने के नाम पर गलत हरकत करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना बिसंडा पर धारा 65(1)/76 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए आज दिनांक 25.09.2026 को पवई बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. परशुराम पुत्र मथुरिया निवासी इटरा मिलौली थाना बिसंडा जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी थानाध्यक्ष बिसण्डा मय टीम